न्यायालय अपर कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी—श्री ओ.पी.बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 110/2012

अपीलांट		**रेस्पोडेंटस**
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा	**बनाम**	खेतसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपुरोहित साकिन आसोतरा तहसील पचपदरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम विरूद्व आदेश दिनांक 26.04.2010 द्वारा तहसीलदार पचपदरा

उपस्थित— 1. अपीलांट की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित।
2. रेस्पोंडेंट के अधिवक्ता श्री रमेश सोलंकी उपस्थित।

निर्णय **दिनांक 30.11.2016**

1. अपीलांटस ने यह अपील तहसीलदार पचपदरा द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.4.2010 के विरूद्व धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत हमारे समक्ष पेश की है।
2. संक्षेप में अपीलांट की अपील के तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम आसोतरा के खसरा नंबर 329 रकबा 16.11 बीघा भूमि का गै.मु. वाणिज्य में स्थित टयुबवैल से सिवाय चक भूमि खसरा नंबर 84, 747, 750, 870 व 982 गै.मु. नदी के दोयम वाणिज्य प्रयोजनार्थ जल परिवहन बाबत रेस्पोडेंट खेतसिंह पुत्र हरिसिंह जाति राजपुरोहित साकिन आसोतरा को धारा 251 राज.काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत जरिये आदेश दिनांक 26.4.2010 द्वारा स्वीकृति जारी की गई। अपीलांट का यह कथन हैं कि वादग्रस्त भूमि गैर मुमकिन नदी की भूमि है एवं धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिबन्धित श्रेणी की भूमि होने से जारी स्वीकृति आदेश दिनांक 26.4.2010 को निरस्त किया जाये। जानकारी होने की तिथि से अपील को अंदर म्याद सुमार करने का निवेदन किया एवं अपीलांट ने अपील के साथ धारा 5 परिसीमा अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र भी पेश किये।

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

3. हमने अपील अपीलांट दर्ज रजिस्टर कर, रेस्पोडेंट को सम्मन जारी किया एवं अपीलाधीन पत्रावली तलब की। अपीलांट की ओर से राजकीय अभिभाषक एवं रेस्पोडेंट की ओर से श्री रमेश सोलंकी अधिवक्ता उपस्थित हुए।

4. हमने दोनो पक्षों की बहस सुनी। अपीलांट की ओर से राजकीय अभिभाषक का यह तर्क हैं कि रेस्पोडेंट द्वारा गैर मुमकीन नदी में पाईप लाइन बिछाई जाकर पानी का दोहन कर उसका व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। वादग्रस्त रकबा की भूमि गैर मुमकीन नदी की भूमि है, तो धारा 16 आर.टी.एक्ट के तहत प्रतिबन्धित श्रेणियो में आती है। इसलिए तहसीलदार पचपदरा द्वारा जारी स्वीकृति को निरस्त किया जाये।

5. रेस्पोडेंट के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क किया कि तहसीलदार पचपदरा द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी की गई स्वीकृति औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक में तत्कालीन जिला कलक्टर बाड़मेर के अनुमोदन के पश्चात् जारी की गई है, जो नियमानुसार सही है। तहसीलदार पचपदरा द्वारा जारी की गई स्वीकृति दिनांक 26.4.2010 के अनुसरण में गै.मु.नदी के जिन खसरो में पाईप लाइन बिछाई गई है, उन खसरो के खातेदारी अधिकार रेस्पोडेंट को नही दिये गये है, जिससे धारा 16 का उल्लंघन होता हो। तहसीलदार ने बाद जांच औद्योगिक सलाहकार समिति द्वारा दिये गये निर्देशों की पालना में स्वीकृति जारी की जो सही एवं उचित होने से अपीलांट की अपील खारिज किये जाने योग्य है।

6. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी। तहसीलदार पचपदरा द्वारा धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा आसोतरा के खसरा संख्या 329 रकबा 16.11 बीघा भूमि गैर मुमकीन वाणिज्य में स्थित ट्युबवेल से खसरा नंबर 84, 747, 750, 870 व 982 गै.मु. नदी में से पाइप लाइन बिछाने हेतु जारी स्वीकृति दिनांक 26.4.2010 के विरूद्व पेश की है। अपीलांट ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मौजा आसोतरा के खसरा नंबर 329 रकबा 16.11 बीघा भूमि का गै.मु. वाणिज्य में स्थित टयुबवैल से सिवाय चक भूमि खसरा नंबर 84, 747, 750, 870 व 982 गै.मु. नदी के दोयम वाणिज्य में से पाईप लाईन बिछाने हेतु स्वीकृति जारी करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये। यह धारा किसी भूधारक के मौजूदा मार्ग के अधिकार पर अन्य सुखाचार में डाले गये विघ्न दूर करने के लिए उपचार प्रदान करती है। यह किसी अन्य मार्ग को निकालने या सुखाचार का नया

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान) सत्यमेव जयते

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

अधिकार देने के लिये नहीं है। यह धारा एक व्ययथित व्यक्ति को उसके वास्तविक सुखाचार के अधिकार एवं वास्तविक उपभोग में विध्न डालने पर ही राहत देती है। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार पचपदरा द्वारा यह नहीं दर्शाया गया हैं कि उक्त पाईप लाईन किस प्रकार सुखाचार की श्रेणी में नहीं आती है साथ ही गैर मुमकीन नदी की भूमि में विप्रार्थी के अतिरिक्त राजकीय अथवा निजी संस्थान को पाईप लाईन बिछाने की अनुमति दी गई हैं अथवा नहीं? उक्त गैर मुमकीन नदी में से उक्त पाईप लाइनो को हटाये जाने से बालोतरा शहर में पेयजल आपूर्ति पर कोई प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं पड़ेगा? यदि पेयजल आपूर्ति पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो वैकल्पिक व्यवस्था के लिए क्या व्यवस्था की जा सकती है। नदी में पाईप लाईन डालने के मुद्दे के समस्त तथ्यों व मौका स्थिति का विश्लेषण तहसीलदार पचपदरा द्वारा प्रस्तुत अपील में नहीं किया गया है।

7. अतः अपील तहसीलदार पचपदरा को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते हैं कि उपरोक्त तथ्यों पर वर्तमान परिप्रेक्ष्य एवं नियमो के अन्तर्गत विश्लेषण करते हुए अपील पुनः पेश करें।

(ओ.पी.बिश्नोई)
अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश आज दिनांक 30.11.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर कलक्टर, बाड़मेर
(ए.डी.एम.)